



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243223
CG-DL-E-27012023-243223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/ माघ 5, 1944

No. 389]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/ MAGHA 5, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 403(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार मानकों का संशोधन करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में अनुसूची-2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्-

अनुसूची-2

[धारा 4(क), 5(1) और 6 को देखें]

पोषणाहार मानक

नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट पोषणाहार मानक -

- एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार, उक्त सारणी के स्तंभ (1) के अधीन आयु वर्ग या शारीरिक वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा और इसे स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराकर पूरा किया जाएगा, और
- पीएम पोषण स्कीम के अधीन, उक्त सारणी के स्तंभ (1) के अधीन निम्न और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को प्रदान किया जाएगा और इसे स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराकर पूरा किया जाएगा।

आयु/ शारीरिक वर्ग	भोजन का प्रकार	ऊर्जा (किलो केलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)	प्रोटीन की गुणवत्ता (प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर)	कुल वसा (ग्राम)	कार्बोहाइड्रेट (ग्राम)	अनाज दलहन अनुपात	कैल्शियम (मि.ग्रा.)	जिंक (मि.ग्रा.)	आयरन (मि.ग्रा.)	आहार फोलेट (μग्राम)	विटामिन ए (μग्राम)	विटामिन बी6 (मिलीग्राम)	विटामिन बी12 (μग्राम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
छह माह से अधिक और बारह माह तक	घर ले जाया जाने वाला राशन	200	8-10	0.8-1.0	10-12	20	2:1	100	0.7	0.7	24	57	0.17	0.33
एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	घर ले जाया जाने वाला राशन	400	15-20	0.8-1.0	15-20	40	2:1	135	1.0	2.0	35	60	0.27	0.33
तीन वर्ष से अधिक और छह वर्ष तक	सुबह का नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन	400	15-20	0.8-1.0	15-20	55	2:1	150	1.5	3.0	40	80	0.33	0.67
छह माह से अधिक और बारह माह तक के कुपोषित बच्चे	घर ले जाया जाने वाला राशन	400	15-20	0.8-1.0	15-18	35	2:1	200	1.5	1.5	50	115	0.35	0.66
एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	घर ले जाया जाने वाला राशन	700	25-30	0.8-1.0	25-30	70	2:1	270	2.0	4.0	70	120	0.55	0.66
तीन वर्ष से अधिक और छह वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	सुबह का नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन तथा घर ले जाया जाने	800	25-30	0.8-1.0	25-30	70	2:1	300	3.0	6.0	80	160	0.66	1.24

	बाला राशन													
गर्भवती महिलायें तथा स्तनपान कराने वाली माताएँ	गर्म पका हुआ भोजन तथा घर ले जाया जाने वाला राशन	600	22-25	0.8-1.0	22-25	80	3:1	335	4.0	7.0	160	240	0.63	0.73
निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	15-20	0.8-1.0	18-21	70	3:1	170	2.0	3.5	50	100	0.43	0.66
उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	22-25	0.8-1.0	22-25	100	3:1	270	4.0	5.5	75	145	0.66	0.66

[फा. सं. 15-31/2020-एनएफएसए]

ममता शंकर, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 403(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby amends the nutritional standards specified in Schedule-II to the said Act. In the National Food Security Act, 2013, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE II

[See sections 4(a), 5(1) and 6]

NUTRITIONAL STANDARDS

The nutritional standards as specified in the table below shall be provided to-

- persons in the age group or physiological group under column (1) of the said Table, and shall be met by providing the type of meal as specified in column (2) thereof, in accordance with the Integrated Child Development Services Scheme' and
- children in the lower and upper primary classes under column (1) of the said Table, and shall be met by providing the type of meal as specified in column (2) thereof, under the PM Poshan Scheme.

Age/ Physiological Group	Type of Meal	Energy (kcal)	Protein (g)	Protein Quality (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score)	Total Fat (g)	Carbohydrate (g)	Cereal Pulse Ratio	Calcium (mg)	Zinc (mg)	Iron (mg)	Dietary Folate (µg)	Vitamin A (µg)	Vitamin B6 (mg)	Vitamin B12 (µg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
above six months upto twelve months	Take Home Ration	200	8-10	0.8-1.0	10-12	20	2:1	100	0.7	0.7	24	57	0.17	0.33
above one year upto three years	Take Home Ration	400	15-20	0.8-1.0	15-20	40	2:1	135	1.0	2.0	35	60	0.27	0.33
above three years upto six years	Morning Snack and Hot Cooked Meal	400	15-20	0.8-1.0	15-20	55	2:1	150	1.5	3.0	40	80	0.33	0.67
Undernourished children above six months upto twelve months	Take Home Ration	400	15-20	0.8-1.0	15-18	35	2:1	200	1.5	1.5	50	115	0.35	0.66
Undernourished children above one year upto three years	Take Home Ration	700	25-30	0.8-1.0	25-30	70	2:1	270	2.0	4.0	70	120	0.55	0.66
Undernourished children above three years upto six years	Morning Snack, Hot Cooked Meal and Take Home Ration	800	25-30	0.8-1.0	25-30	70	2:1	300	3.0	6.0	80	160	0.66	1.24
Pregnant Women and Lactating Mothers	Hot Cooked Meal and Take	600	22-25	0.8-1.0	22-25	80	3:1	335	4.0	7.0	160	240	0.63	0.73

	Home Ration													
Lower primary classes	Hot Cooked Meal	450	15-20	0.8-1.0	18-21	70	3:1	170	2.0	3.5	50	100	0.43	0.66
Upper primary classes	Hot Cooked Meal	700	22-25	0.8-1.0	22-25	100	3:1	270	4.0	5.5	75	145	0.66	0.66

[F. No. 15-31/2020-NFSA]

MAMTA SHANKAR, Senior Economic Adviser